P001

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

कार्यालय हाजा के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/प्रधानाचार्य/2018 दिनांक 27.09.2018 द्वारा श्री पूरन चन्द गुप्ता, प्रधानाचार्य राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय भजेड़ा, किशनगढ़ बास जिला अलवर का स्थानान्तरण सिरवी अचली बाई वरपा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ईसाली, मारवाड़ जंक्शन जिला पाली किया गया था जिसके विरूद्ध श्री गुप्ता द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में अपील संख्या 4379/2018 पूरन चन्द गुप्ता बनाम निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर व अन्य दायर की गई।

अपील में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.12.2018 द्वारा अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी अपील में वर्णित आधारों पर दिनांक 03.01.2018 तक एक अभ्यावेदन पेश करने और अपीलार्थी द्वारा पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में एक सकारण आख्यात्मक आदेश (Reasoned speaking order) प्रसारित कर 15 दिवस की अवधि में निस्तारित करने और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को देने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय की अनुपालना में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपनी पत्नी के विगत 11 वर्षों से थॉयराइड़, मधुमेह व सर्वाइकल रोग से पीड़ित होने व अपने स्थानान्तरित स्थान के अत्यधिक दूर होने जैसी परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपना स्थानान्तरण अलवर जिले में प्रधानाचार्य के रिक्त पद–राउमावि देसूला, राउमावि रायबका, राबाउमावि बहादुरपुर अथवा राउमावि बगड़मेव, अलवर में किये जाने सम्बन्धी परिवेदना प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी श्री पूरन चन्द गुप्ता के अभ्यावेदन का राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर किया गया था। विभाग द्वारा प्रशासनिक आवश्यकता और विभागीय प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए समय–समय पर इस प्रकार के स्थानान्तरण आदेश शैक्षिक उन्नयन हेतु पारित किये जाते रहे हैं ताकि शिक्षा के प्रशासनिक ढ़ांचे को सम्बलन प्रदान किया जा सके। अपीलार्थी वर्तमान में राज्य शिक्षा सेवा के राजपत्रित स्तर का पद धारित है और माननीय उच्च न्यायालय के जगमोहन बनाम सरकार प्रकरण में पारित निर्णयानुसार राज्य सेवा का पद धारित कार्मिक को (जोब चार्ट के अनुसार) राज्य हित/छात्र हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी श्री पूरन चन्द गुप्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को एतद्द्वारा खारिज किया जाता है। श्री गुप्ता–सिरवी अचली बाई वरपा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ईसाली, मारवाड़ जंक्शन जिला पाली में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रहेंगे।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/पूरनचन्द/4379/2018 **दिनांक** 14/01/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, पाली संभाग, पाली।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, पाली।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक, पाली।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
6. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड हेतु।
8. सम्बन्धित कार्मिक को आदेश की पालनार्थ।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)